

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 मार्च 2016—फाल्गुन 15, शक 1937

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2016

क्र. एफ 2(अ)96-2015-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उपनियम (8) के (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(तीन) **शारीरिक दक्षता परीक्षण.**—यह परीक्षण (टेस्ट) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है. यह परीक्षण अर्हताकारी स्वरूप का होगा. इस परीक्षण के लिए कोई अंक नहीं होंगे. इस परीक्षण में तीन विधाएं 800 मीटर दौड़, लंबी कूद तथा गोला फेंक सम्मिलित होगी. इन विधाओं में अर्ह होने के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट किए गये हैं.”

2. नियम 11 में,—

(एक) उपनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(6) कुल पदों के 15 प्रतिशत पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे जिन्होंने कम से कम 6 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया हो तथा उक्त सेवाकाल के दौरान उन्हें कोई भी बड़ी सजा नहीं मिली हो.”

(दो) उपनियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(7) महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण हॉरीजोण्डल एवं कम्पार्टमेण्ट वाइज होगा. यदि चयन सूची में 33 प्रतिशत महिलाएं मेरिट के आधार पर चयन सूची में जगह पाती हैं तो और अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा. योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर महिलाओं के लिये आरक्षित पद अग्रणीत नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में ये पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे.”

3. नियम 14 में, उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़े जाएं, अर्थात्:—

“(6) एक ही परीक्षा से भर्ती के माध्यम से नियुक्त किये गए परिवीक्षार्थी, उत्तरवर्ती रूप से भर्ती किए गए सदस्यों से पूर्णरूपेण (एन ब्लाक) ज्येष्ठ होंगे.”

(7) एक ही परीक्षा/प्रवीण्य सूची से सीधी भर्ती किए गए परिवीक्षार्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के 50 प्रतिशत अनुपात एवं बुनियादि प्रशिक्षण की मुख्य परीक्षा में अर्जित अंको के 50 प्रतिशत अनुपात से प्राप्त सकल अंकों के आधार पर नियत की जाएगी। यदि दो या दो से अधिक परिवीक्षार्थी सकल अंकों में समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी प्रवीण्यता उनकी आयु के क्रम में विनिश्चत की जाएगी :

परंतु कोई परीवीक्षाधीन जो बीमारी या किसी अन्य कारण से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है या किसी विषय/विषयों या प्रश्न पत्र/प्रश्नपत्रों आदि के लिए विहित किए गए न्यूनतम अंक अर्जित करने में असफल रहता है तथा पश्चात्बर्ती रूप से परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेता है तो उस परीवीक्षाधीन को ऐसी परीक्षा / पुनः परीक्षा में प्रदान किए गए अंकों को गणना उसकी ज्येष्ठता निर्धारित करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा।”

4. अनुसूची एक में,

(एक) अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“2(ए)	निरीक्षक (आयुध)	21	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800/- + ग्रेड वेतन रु. 4200/-	पुलिस महानिरीक्षक।”।

(दो) अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“7(ए)	उप निरीक्षक (आयुध)	71	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800/- + ग्रेड वेतन रु. 3600/-	पुलिस उप महानिरीक्षक।”।

5. अनुसूची दो में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“7(ए)	गृह (पुलिस) मध्यप्रदेश पुलिस अराजपत्रित सेवा	उप निरीक्षक (आयुध)	71	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत।”।

6. अनुसूची तीन में अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“मध्यप्रदेश पुलिस अराजपत्रित सेवा	5(ए)	उप निरीक्षक (आयुध)	18	28	मान्यता प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालय से मेकैनिक्कल इन्जीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।”।

7. विद्यमान अनुसूची चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“अनुसूची चार
(नियम 15 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना हो।	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना हो	कालम (3) में उल्लेखित पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता के संबंध में कालम (2) में के पद पर न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
गृह (पुलिस) विभाग	उप निरीक्षक (जिला बल)	निरीक्षक (जिला बल)	6 वर्ष सीधी भर्ती 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	अध्यक्ष- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक सदस्य-पुलिस उप महानिरीक्षक / सहायक पुलिस महानिरीक्षक संवर्ग से पुलिस महानिदेशक, द्वारा नामांकित दोसदस्य
	उपनिरीक्षक (विशेष शाखा)	निरीक्षक (विशेष शाखा)	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	उपनिरीक्षक (रेडियों)	निरीक्षक (रेडियों)	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	उपनिरीक्षक (अंगुली चिन्ह)	निरीक्षक (अंगुली चिन्ह)	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	उपनिरीक्षक (क्यूडी)	निरीक्षक (क्यूडी)	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	उपनिरीक्षक (फोटो)	निरीक्षक (फोटो)	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	उपनिरीक्षक (आर्म्स)	निरीक्षक (आर्म्स)	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	प्लाटून कमाण्डर	कम्पनी कमाण्डर	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	रूबेदार	रक्षित निरीक्षक	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	सहायक उप निरीक्षक	उप निरीक्षक	3 वर्ष	तदैव
	सहायक प्लाटून कमाण्डर	प्लाटून कमाण्डर	3 वर्ष	तदैव।”।

8. विद्यमान अनुसूची पांच के स्थान पर, निम्नलिखित स्थापित की जाए, अर्थात:-

“ अनुसूची पांच ”
[नियम 6 (8) (तीन)]

शारीरिक दक्षता परीक्षण की तीन विधाओं अर्थात 800 मीटर दौड़, लंबी कूद तथा गोला फेंक में अर्हित होने हेतु निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं :

(एक) 800 मीटर दौड़

क्र०	अभ्यर्थी	800 मीटर दौड़ क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित अधिकतम समय
(1)	(2)	(3)
1.	पुरुष	2 मिनट 40 सैकेण्ड (एक अवसर)
2.	महिला	3 मिनट 30 सैकेण्ड (एक अवसर)
3.	भूतपूर्व सैनिक	3 मिनट 15 सैकेण्ड (एक अवसर)

(दो) लंबी कूद

क्र०	उम्मीदवार	लंबी कूद क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित न्यूनतम दूरी
(1)	(2)	(3)
1.	पुरुष	13 फीट (तीन अवसर)
2.	महिला	10 फीट (तीन अवसर)
3.	भूतपूर्व सैनिक	10 फीट (तीन अवसर)

(तीन) गोला फेंक

क्र०	उम्मीदवार	गोला फेंक क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित न्यूनतम दूरी
(1)	(2)	(3)
1.	पुरुष	19 फीट (गोले का वजन 7.260 कि०ग्रा०) (तीन अवसर)
2.	महिला	15 फीट (गोले का वजन 4 कि०ग्रा०) (तीन अवसर)
3.	भूतपूर्व सैनिक	15 फीट (गोले का वजन 7.260 कि०ग्रा०) (तीन अवसर)

Bhopal, the 5th March 2016

No 2(a) 96/2015/B-4/II - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Police Executive (Non Gazetted) Service Recruitment Rules, 1997, namely :-

AMENDEMENTS

In the said rules,-

1. In rule 6, in sub rule (8) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

" (iii) **Physical Proficiency Test**– This test is compulsory for all candidates. this test will be of qualifying nature. There shall not be any marks for this test. Three events 800 meter run, long jump and shot put shall be included in this test. Parameters prescribed for qualifying these events are specified in Schedule V."

2. In rule 11,-

- (i) for sub rule (6), the following sub rule shall be substituted, namely :-

"(6) 15 % of the total posts shall be reserved for those employees of police department who have completed minimum six years of service and have not received any major punishment during the service so far."

- (ii) for sub rule (7), the following sub rule shall be substituted, namely :-

“(7) 33% Reservation for women shall be horizontal and compartment wise. If 33% women find place in the select list on merit, then further reservation shall not be given. The posts reserved for women shall not be carried forward if eligible women candidates are not available and under such circumstances, these posts shall be filled up from other available candidates of the same category.”.

3. In Rule 14, after sub-rule (5), the following sub-rules shall be added, namely:-

- “(6) The probationers appointed through recruitment from the same examination shall be senior, en-bloc, to those recruited subsequently.
- (7) The inter-se seniority of the probationers, who are directly recruited from the same examination/merit list shall be fixed on the basis of aggregate marks obtained from 50% ratio of the marks obtained in the entrance examination and 50% ratio of marks obtained in the main examination of the basic training. In case two or more probationers secure equal number of marks in the aggregate, their merit shall be decided in order of their age:

Provided that for a probationer who fails to appear in final examination either because of sickness or any other reason or fails to obtain minimum number of marks prescribed for any subject (s) or

paper (s) etc. and clears the exams subsequently, the marks awarded to the probationer, in such examination/re-examination shall not be taken into account in determining his seniority.”.

4. In Schedule I,-

- (i) after serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“2(a)	Inspector (Arms)	21	State Police Service, Class III	9300 - 34800/- + Grade pay Rs. 4200/-	Inspector General of Police.”.

- (ii) after serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“7(a)	Sub-Inspector (Arms)	71	State Police Service, Class III	9300 - 34800/- + Grade pay Rs. 3600/-	D.I.G. of Police.”.

5. In Schedule II, after serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“7(a)	Home (Police) Madhya Pradesh Police Non Gazetted Service	Sub-Inspector (Arms)	71	50%	50%.”.

6. In Schedule III, after serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"Home (Police) Madhya Pradesh Police Non Gazetted Service	5 (a)	Sub-Inspector (Arms)	18	28	Three years Diploma in Mechanical Engineering From a recognized Technical University."

7. For existing Schedule-IV, the following Schedule shall be substituted, namely:-

**"SCHEDULE - IV
(See Rule 15)**

Name of Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum service in the post of column (2) for eligibility for promotion on the post in column (3)	Department Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Home (Police) Department	Sub Inspector (DEF)	Inspector (DEF)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	Chairman- Additional Director General of Police/ Inspector General of Police Members- Two members to be nominated from the cadre of Deputy

				Inspector General /Assistant Inspector General of Police by Director General of Police.
	Sub Inspector (S.B.)	Inspector (S.B.)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Sub Inspector (Radio)	Inspector (Radio)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Sub Inspector (Finger Print)	Inspector (Finger Print)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Sub Inspector (Q.D.)	Inspector (Q.D.)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -

	Sub Inspector (Photo)	Inspector (Photo)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Sub Inspector (Arms)	Inspector (Arms)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Platoon Commander	Company Commander	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Subedar	Reserve Inspector	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Assistant Sub Inspector	Sub- Inspector	3 years	- " -
	Assistant Platoon Commander	Platoon Commander	3 years	- " - "

8. For existing Schedule V, the following Schedule shall be substituted, namely:-

**" Schedule V
[See Rule 6(8)(iii)]**

Parameters prescribed for qualifying three events of physical proficiency test namely 800 meter run, long jump and shot put are as following:

(i) 800 Meter run

S.No.	Candidate	Maximum time allowed for qualifying 800 Meter run
(1)	(2)	(3)
1.	Male	2 Minute 40 Seconds (single attempt)
2.	Female	3 Minute 30 Seconds (single attempt)
3.	Ex Service men	3 Minute 15 Seconds (single attempt)

(ii) Long Jump

S.No.	Candidate	Minimum distance allowed for qualifying Long jump
(1)	(2)	(3)
1.	Male	13 feet (Three attempts)
2.	Female	10 feet (Three attempts)
3.	Ex Service men	10 feet (Three attempts)

(ii) Shot put

S.No.	Candidate	Minimum distance allowed for qualifying Shot put
(1)	(2)	(3)
1.	Male	19 feet (Three attempts) (weight of Shot put-7.260 k.g.)
2.	Female	15 feet (Three attempts) (weight of Shot put- 4 k.g.)
3.	Ex Service men	15 feet (Three attempts) (weight of Shot put-7.260 k.g.) .".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.